— विविध आदेश —

कोरबा जिला स्थापना में आरक्षी केन्द्रों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत के एन0डी0पी0एस0 अधिनियम 1985 के तहत जप्तशुदा सामाग्री की **नमूना लिये जाने एवं इन्वेंट्री तैयार किये जाने** के संबंध में निम्नानुसार आदेश जारी किया जाता है जो माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय कोरबा के अनुमोदन दिनांक से प्रभावशील होगा—

क0	न्यायिक अधिकारियों के नाम	आरक्षी केन्द्रों के नाम
01	कु. डॉली ध्रुव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा (छ0ग0)	सिटी कोतवाली, सिविल लाईन रामपुर,
01.	श्रीमती सोनी तिवारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा (छ0ग0)	उरगा, बालको, करतला एवं श्यांग
02.	कु. कुमुदनी गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा (छ0ग0)	यातायात, लेमरू आबकारी वृत्त कोरबा, आंतरिक, शहरी, दक्षिण,
04.	श्री लोकेश पटले, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा (छ0ग0)	दीपका, आबकारी वृत्त बांकीमोंगरा एवं दीपका
03. 04.	कु0 रंजू वैष्णव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा (छ0ग0)	दर्री, आबकारी वृत्त कटघोरा, आबकारी वृत्त दर्री—गेवरा
05.	श्री सिद्धार्थ आनंद सोनी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा (छ0ग0)	कुसमुंडा, पाली, हरदीबाजार
03. 04.	श्री सागर चन्द्राकर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा (छ0ग0)	कटघोरा, पसान, बांकीमोंगरा, बांगो

टीप :— न्यायिक मजिस्ट्रेटों की अवकाश की दशा में दांडिक कार्य विभाजन आदेश दिनांक 03.01.2026 के तालिका क्रमांक 01 में उनके नाम के सम्मुख उल्लेखित प्रथम/द्वितीय/तृतीय प्रभारी मजिस्ट्रेट के द्वारा कार्य संपादित किया जावेगा, किंतु यह ध्यान रखना होगा कि दांडिक कार्य विभाजन आदेश में उन्हें आबंटित थाना न हो और यदि ऐसा होता है तो उनके अगले क्रम के प्रभारी मजिस्ट्रेट के द्वारा कार्य संपादित किया जावेगा।

सही/—

(कु. मयूरा गुप्ता)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
कोरबा (छ0ग0)